आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16-11-2015 26-11-2015	**न्यायालय समाहर्त्ता, लखीसराय** (जिला विधि शाखा) अतिक्रमण वाद संख्या–01/2012–13 गोपाल कुमार बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय एवं अन्य **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अवलोकन किया। आवदेक के विज्ञ अधिवक्ता एवं बिहार सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.12.12 अंर्तगत writ याचिका C.W.J.C. No. 3807/2012 गोपाल कुमार बनाम राज्य सरकार को देखा। आदेश के अवलोकन से एवं आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा अतिक्रमण वाद चलाए जाने से संबंधित विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा एवं थाना प्रभारी, कजरा को मात्र एक आवेदन देकर अतिक्रमण मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का विधिवत अतिक्रमण वाद सक्षम प्राधिकार अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा के समक्ष नहीं लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.12.2012 में निम्नांकित निदेश दिया गया है "Having heard counsel for the parties this Court is of the opinion that it would suffice if a direction is issued to respondent no. 2, the District Magistrate, Lakhisarai to dispose of the representation as contained in Annexure-1 filed by the petitioner including large number of villagers, if already not disposed of, as expeditiously as possible, in accordance with law. " उक्त निदेश के आलोक में आवेदक के द्वारा अतिक्रमण वाद सीधे समाहर्त्ता न्यायालय में दिनांक–09.02.2013 को दायर किया गया। अतिक्रमण वाद चलाए जाने से संबंधित सक्षम प्राधिकार संबंधित अंचल अधिकारी होते हैं। इस संबंध में राज्यादेश संख्या–770, दिनांक–03.06.1974 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार से संबंधित नियम निम्नवत उद्धृत हैं :– "In exercise of the powers conferred by section 2 (1) of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (Bihar Act 15 of 1956) the Governor of Bihar is pleased to appoint all the Anchal Adhikaris of the State to discharge the functions of a Collector under the said Act within the limits of their respective jurisdiction."	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को निदेश दिया जाता है कि वे सक्षम प्राधिकार अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा के समक्ष विधिवत वाद दायर करें। तदनुसार अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर वाद का निष्पादन करेंगे वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

लेखापित / संशोधित

26/11/15

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

26/11/15

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

ज्ञापांक—1097—विधि, दिनांक—26.11.15

प्रतिलिपि :— अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सूचना विज्ञान केन्द्र लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— गोपाल कुमार, पे0—कार्यानन्द महतो, सा0—अरमा, थाना—कजरा, जिला—लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित

26/11/15

समाहर्त्ता,
लखीसराय।